न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 44/2021

उनवान

सरजू पत्नी काना उर्फ कानाराम उर्फ कन्हैयालाल जाति खाती निवासी बुबानिया, नसीराबाद

-- वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादी :- जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :- 23/5/24

-: निर्णय :-

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 1387, 1388, 376, 377, 378, 472, 564, 584 किता 8 रकबा 1.03 की आराजी वादी के पति काना उर्फ कानाराम, उर्फ कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद वादी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी। वादी के पति की विरासत दर्ज करते समय नामान्तकरण में वादी का नाम सुरता दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सरजू है। वादी का नाम सभी दस्तावेज में सरजू है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम सुरता के स्थान पर सरजू अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी नाम दुरूस्त कराने का अधिकारी है ?

-- वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की वहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

आराजी मुतनाजा हाल जमाबंदी वादी व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। उक्त जमाबंदी में वादी का नाम सुरता पत्नी काना अंकित है। वर्किंग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा वादी के पति व अन्य की सह खातेदारी में थी। वादी के पति की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 349 द्वारा जरियें विरासत वादी व अन्य वारिस के नाम दर्ज हुयी। उक्त नामान्तकरण में अंकित शजरे में वादी का नाम सुरता ही अंकित है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में वादी का नाम सरजू ही अंकित है। वादी को उक्त आराजी जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। वादी का नाम सही अंकित करने से अन्य व्यक्तियों के हित प्रभावित नही होगे। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। अतः वादी नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी सिद्व होती है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 1387, 1388, 376, 377, 378, 472, 564, 584 किता 8 रकबा 1.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम सुरता के स्थान पर सरजू दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सरजू बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 44 / 2021
पेश करने की दिनांक – 09.04.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 1387, 1388, 376, 377, 378, 472, 564, 584 किता 8 रकबा 1.03 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम सुरता के स्थान पर सरजू दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९ माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद